कार्यालय पुलिस आयुक्त दिल्ली, पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली

संख्या 429 /जनसम्पर्क शाखा,पुलिस मुख्यालय, दिल्ली, दिनांक 5-8-2010

सेवा में,

सम्पादक
दैनिक हिन्दुस्तान
कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली

विशयः– **' दस में से नौ शिकायती टरका देती है पुलिस ' शीर्षक के अतंर्गत छपी खबर के सन्दर्भ में खंडन।**

महोदय,

कृपया, आज आपके समाचार पत्र में उपरोक्त शीर्षक के अतंर्गत छपी खबर का अवलोकन करें। प्रकाशित खबर में मेरे कथन को फोटो के साथ छपा गया है। कथन में "संगीन" शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि गलत व त्रुटिपूर्ण है।

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि आपके **संवाददाता श्री रमेश त्रिपाठी से उपरोक्त विषय पर बात करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा बताया गया था कि दिल्ली पुलिस को मिलने वाली सभी शिकायत संज्ञेय अपराध (Cognizable offence) की श्रेणी में नहीं आने के कारण उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है।** जो शिकायतें संज्ञेय अपराध होना बताती है उन पर उपयुक्त पुलिस कार्यवाही की जाती है। प्रकाशित कथन में ' संज्ञेय जुर्म ' की जगह ' संगीन जुर्म ' लिखने से अनावश्यक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है कि पुलिस संगीन अपराधों की एफआईआर तो दर्ज करती है किन्तु संज्ञेय अपराधों की नही, जो अनुपयुक्त हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए खबर का सही दृष्टिकोण पाठकगणों तक पहुंचाने के लिए अधोहस्ताक्षरी के खंडन को समुचित स्थान पर प्रकाशित कर अनुगृहित करें।।

धन्यवाद!

राजन भगत

(राजन भगत)
जनसम्पर्क अधिकारी
दिल्ली पुलिस,दिल्ली